Azadi Ka Amrit Mahotsav

कार्यालय
वन मण्डल विदिशा

ई–मेल. dfotvidisha@mp.gov.in, दूरभाष– 07592-

क्रमांक / मा0चि0 / 234 विदिशा, दिनांक 09 / 02 / 2022

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग खण्ड,
विदिशा

विषय :– विदिशा जिले में जल मिशन योजना के अंतर्गत पेयजल प्रदाय हेतु मार्ग के किनारे–किनारे (ROW)पानी की पाईप लाईन निर्माण हेतु 0.020 हेक्टेयर वनभूमि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, विदिशा को उपयोग पर देने बावत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्र./FP/MP/WATER /147244/2021)।

संदर्भ :– (ऑनलाईन प्रकरण क्र./FP/MP/WATER /147244/2021).

----00----

विषयांतर्गत प्रकरण के संबंध में आपके संदर्भित पत्र के साथ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियम 2003 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप का आवेदन आनलाईन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। तद्उपरान्त वन परिक्षेत्र अधिकारी, बासौदा से स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त म0प्र0शासन वन विभाग म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ–5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 18.11.2004 एवं एफ–5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 14 / 12 / 2005 एवं एफ–5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 01 / 07 / 2009 तथा अपर मुख्य वन संरक्षक(भू0प्र0) के पत्र क्रमांक / एफ–11 / 2015 / 2637 दिनांक 28 / 10 / 2015 एवं एफ–5 / 1104 / 2022 / 10–11 / 293 दिनांक 27 / 01 / 2022 से जारी दिशा निर्देशानुसार water supply through FHTCs in kohna village तक जल प्रदाय योजना निर्माण की **प्रथम चरण सैद्वातिक स्वीकृति** औपचारिक अनुमोदन के आधार पर निम्न शर्तो के अधीन दी जाती है।

रोड के निर्माण में निम्नानुसार वन क्षेत्र प्रभावित होगा :–

क्र.	जिले का नाम	वन मण्डल का नाम	कक्ष क्रमांक	लंबाई मीटर में	चौड़ाई मी. में	आवेदित क्षेत्रफल है0 में
1	विदिशा	विदिशा	PF-148	400	0.5	0.020
	योग			**400**	**0.5**	**0.020**

अधिरोपित शर्ते :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नही होगा।
2. **प्रस्तावित पाईप लाईन 0.45 मीटर चौडाई तथा 2 मीटर गहराई से अधिक नही होगा।**
3. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य पाईप लाईन को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नही किया जावेगा।
4. प्रस्तावित पाईप लाईन के रख–रखाव की अनुमति आवेदन प्राप्त होने पर वन मण्डलाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
5. समतलीकरण का कार्य आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई ट्रेंच लाईन से निकाली गई मिट्टी से किया जायेगा।
6. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी / पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र के बाहर से लाकर किया जायेगा।
7. यद्यपि प्रस्तावित लाईन में वृक्ष नहीं आ रहे है फिर भी ट्रेंच लाईन खोदते समय वृक्षों को हानि नही पहुंचाई जायेगी।
8. यदि आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है तो वन मण्डलाधिकारी विदिशा द्वारा की गयी निर्धारित राशि आवेदक संस्थान से देय होगी तथा भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू0प्र0) म0प्र0 भोपाल, मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल एवं वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल

Scanned by TapScanner

विदिशा द्वारा अगर कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो वह सभी शर्तें आवेदक संस्थान को मान्य होंगी। वचन पत्र देवें।

9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू0प्र0),के पत्र क्रमांक/एफ–5/2018/10–11/1076 दिनांक 16/4/2018 तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय(वन संरक्षण प्रभाग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06/01/2022 के द्वारा दिये निर्देशानुसार नेट प्रेजेन्ट वेल्यू (NPV) की राशि 20,104/–(बीस हजार एक सौ चार रूपये) ऑन लाईन के माध्यम से जमा करें। साथ ही वचन पत्र देवे कि भविष्य में शासन द्वारा एन.पी.व्ही. की राशि में संशोधन होता है तो आवेदक संस्थान भुगतान करने हेतु वचनवद्ध रहेगा।

10. आवेदक संस्थान water supply through FHTCs in kohna village तक जल प्रदाय योजना निर्माण के अंतर्गत मात्र उसी स्थान पर ट्रेंच लाईन खोदकर पाईप लाईन के निर्माण जिसका कि परिक्षेत्र अधिकारी बासौदा एवं उप वनमण्डल अधिकारी बासौदा ने संयुक्त स्थल निरीक्षण के दौरान चिन्हित किया है।

शर्त क्रमांक 01 से 10 तक की शर्तो का कडाई से पालन किया जावे एवं प्रत्येक शर्त का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र की हार्ड कापी इस कार्यालय को देवे एवं पालन प्रतिवेदन वेव पोर्टल पर अपलोड करावें।

अधिरोपित शर्तो के पालन उपरांत अंतिम स्वीकृति प्रदान की जावेगी।

वन मंडलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, विदिशा

विदिशा, दिनांक 09/02/2022

पृ0 क्रमांक/मा0चि0/238

प्रतिलिपि :–

1 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू0प्र0) म0प्र0 भोपाल की ओर आपके पत्र क्र./एफ–5/1104/2022/10–11/293 दिनांक 27/01/2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2 मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर आपके पृ.क्र./मा.चि./61 दिनांक 12/01/2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

3 उप वनमण्डल अधिकारी बासौदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4 वन परिक्षेत्र अधिकारी बासौदा की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तो का पालन प्रतिवेदन आवेदक विभाग से प्राप्त कर आवेदित स्थल पर कार्य शर्तो के अनुरूप कराये जाना सुनिश्चित करे एवं इस कार्यालय को सभी शर्तो का पालन प्रतिवेदन देवें।

09/02/22

वन मंडलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, विदिशा

Scanned by TapScanner